छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 28 जुलाई, 2021 (श्रावण 6,1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–19 के अंतर्गत बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार –

(i) अधिसूचना क्रमांक 184/एफ 3 (5)/48/2018/सं.का., दिनांक 4 मार्च, 2021 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 187/एफ 3 (5)/48/2018/सं.का., दिनांक 4 मार्च, 2021

पटल पर रखेंगे।

(3) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री –

(i) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक आर–591/472/आठ–परि/2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021 तथा

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक आर–592/472/आठ–परि/2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के हमले से लोगों की मौतें होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री पुरूषोत्तम कंवर, मोहित राम, सदस्य, पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रभावित ग्रामों में भूखण्डों का मुआवजा नियमानुसार निर्धारण नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 04, प्रेमनगर के सदस्य, श्री खेलसाय सिंह, को जुलाई, 2021 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोकलेखा समिति का बावनवां, तिरपनवां, चौवनवां एवं पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) धमतरी के अम्बेडकर चौक से गंगरेल पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण करने,

(ii) धमतरी में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण करने,

(iii) ग्राम रांवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iv) ग्राम रांवा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने,

(2) श्री संतराम नेताम, सदस्य, केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) छोटेराजपुर–छिंदली के मध्य भंवरडिग नदी पर एनीकट निर्माण करने,

(ii) ग्राम माण्डोकीखरगांव में माण्डोकीखरगांव नदी पर एनीकट निर्माण करने,

(iii) ग्राम जैतपुरी से गिरोला पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला धमतरी अंतर्गत –

(i) ग्राम चटौद में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम भाठागांव से भखारा तक मार्ग का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण करने,

(iii) कुरूद –चर्रा–कातलबोड़–नवागांव मार्ग का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण करने,

क्रमशः 3

(iv) सिर्री–फुसेरा–करगा–चटौद से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 तक मार्ग का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण करने,

(v) ग्राम संकरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(vi) ग्राम सिलौटी में महाविद्यालय भवन निर्माण करने,

(vii) ग्राम चर्रा में कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण करने,

(viii) ग्राम जी जामगांव में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रारंभ करने,

(4) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) विकासखण्ड बकावण्ड स्थित डी.आर.डी.ओ. मुख्य द्वार से गिरोला तक मार्ग उन्नयन करने,

(ii) ग्राम जैबेल (पुजारीपारा) में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने तथा

(5) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, जिला बस्तर अंतर्गत ग्राम कुंगारपाल के पाला नाले पर एनीकट कम काजवे निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

7. मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–31 (क्रमांक–892) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक,2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 4

9. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

3 घंटे

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 67, 71, 76, एवं 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **दो हजार चार सौ पचासी करोड़, उनसठ लाख, इकतीस हजार, सात सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

11. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) (ग्रामीण व शहरी) का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश की हसदेव एवं मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में कोयला खनन की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 27 जुलाई, 2021